भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

07.12.2022 के

अतारांकित प्रश्न सं. 224 का उत्तर

के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना

224. श्री हिबी ईडन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि केरल सरकार बिना उचित और वैधानिक स्वीकृति के सिल्वर लाइन सेमी-हाई स्पीड रेल परियोजना के कार्यों को आगे बढ़ा रही है, यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना हेतु दिनांक 20.07.2022 को या उसके पश्चात् अनुमोदन और अनुमति के लिए नया विस्तार या आवर्धन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल रेल विकास निगम लिमिटेड(के-रेल) द्वारा अभी तक सिल्वर लाइन परियोजना के संरेखण सहित तकनीकी दस्तावेज और अन्य विवरण नहीं दिए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने परियोजना की दिनांक 20.07.2022 को या उसके पश्चात पुन: परीक्षण या छानबीन की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना पर विचार किए जाने की संभावना मिट्टी की स्थिति, प्राकृतिक जल निकासी, पर्यावरणीय मुद्दों, अंतरसंचालनीयता, ऋण चुकाने की क्षमता के साथ मुख्य रूप से परियोजना के यात्री यातायात पर निर्भर है, यदि हां तो उन सभी पूर्व शर्तों, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमति देने/एनओसी जारी करने से पहले विचार किया जा सकता है, का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के-रेल सिल्वर लाइन परियोजना के मामले में अनुमति/एनओसी जारी करने में हुई देरी से अवगत है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का रूख क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

के-रेल (सिल्वर लाइन) परियोजना के संबंध में दिनांक 07.12.2022 को लोक सभा में श्री हिबी ईडन के अतारांकित प्रश्न सं. 224 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) : जी नहीं। केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (केआरडीसीएल), जो केरल राज्य सरकार (51%) और रेल मंत्रालय (49%) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, ने तिरुवनंतपुरम से कासरगोड (530.6 किमी) तक विकास के लिए सिल्वर लाइन (सेमी हाई स्पीड रेल) का कार्य शुरू किया है। निवेश-पूर्व कार्यकलाप शुरू करने के लिए इस परियोजना के लिए रेलवे बोर्ड का सैद्धांतिक अनुमोदन (आईपीए) प्रदान कर दिया गया है। आईपीए प्रदान करने का आशय डीपीआर आदि तैयार करना जिससे वित्त सहित परियोजना का पूरा ब्यौरा तैयार होता है।

(ख) से (घ): जी नहीं, रेल मंत्रालय द्वारा डीपीआर की जांच की जा रही है। डीपीआर में तकनीकी व्यवहार्यता के लिए पर्याप्त ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, केआरडीसीएल को कहा गया है कि वह परियोजना की विस्तृत जांच के लिए संरेखण योजना, रेलवे भूमि और निजी भूमि का विवरण, मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर क्रॉसिंग, जोनल रेलवे के माध्यम से प्रभावित रेलवे संपत्ति के विधिवत नक्शे और परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विस्तृत तकनीकी दस्तावेज मुहैया कराए, जिनकी केआरडीसीएल से प्रतीक्षा की जा रही है।

(ङ) : तकनीकी पैरामीटरों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वित्तीय व्यवहार्यता की जांच की जाएगी और उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। परियोजना पर विचार करना परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा।

(च) : परियोजना अभी स्वीकृत नहीं है। अत: विलंब का प्रश्न ही नहीं उठता।

****